# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

**पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)**

**अपील संख्या– 2018/192**

1. द्वारका बाई पत्नी स्वर्गीय रामकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।
2. विजेन्द्र पुत्र स्वर्गीय रामकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।
3. रामकैलाश पुत्र स्वर्गीय रामकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।
4. राधा बाई पत्नी स्वर्गीय रामकरण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम अरलिया तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।

**– अपीलांटगण**

**बनाम**

1. नन्दकिशोर मुतवन्ना रामनाथ जाति छीपा निवासी ग्राम खेड़ारसूलपुर, तहसील लाडपुरा कोटा(राज0)।
2. द स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

**–रेस्पोडेन्टगण**

उपस्थित वक्त बहस–(1). उल्पल शर्मा– अधिवक्ता अपीलांट
(2). रविन्द्र खण्डेलवाल–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1

**निर्णय** **दिनांक 13.06.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 44/2013 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादी के नाम सम्वत 2032 से 2035 की जमाबंदी मे ग्राम अरल्या जागीर तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 220 रकबा 18 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्थित है

जिसका वादी एकमात्र खातेदार है तथा काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। वादी की उपरोक्त आराजी पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा सेटलमेन्ट कार्य किया गया और बाद सेटलमेन्ट वादी के नाम रिकॉर्ड मे नवीन खसरा नम्बर 173 रकबा 2.62 हैक्टेयर कायम किया गया। बाद सेटलमेन्ट जो वादी के नाम खसरा नम्बर 173 रकबा 2.62 हैक्टेयर दर्ज किया है जो सेटलमेन्ट से पूर्व के रकबे 18 बीघा 15 बिस्वा से 0.38 हैक्टेयर कम दर्ज किया है, जिसे वादी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी सेटलमेन्ट से पूर्व जहां काबिज है, आज भी उतने ही रकबे पर अर्थात 3 हैक्टेयर भूमि पर ही काबिज है तथा काश्त कर रहा है। मात्र वादी के रिकॉर्ड मे रकबा कम दर्ज किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। सेटलमेन्ट विभाग प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर वादी को बिना सुने एवं बिना सूचना दिये वादी का रकबा 0.38 हैक्टेयर कम दर्ज किया है। सेटलमेन्ट विभाग का उक्त कृत्य अवैध एवं प्रभाव शून्य है तथा अधिकार क्षेत्र व बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से रकबा कम दर्ज किया है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादी के खेत खसरा संख्या 220 बाद सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 173 के दक्षिणी और खसरा नम्बर 221 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है जिस पर सेटलमेन्ट बाद नवीन खसरा नम्बर 177 रकबा 1.46 हैक्टेयर कायम किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज किया जो 0.38 हैक्टेयर अधिक दर्ज है। इस प्रकार सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के साथ मिलकर रकबा बड़ाकर वादी का रकबा 0.38 हैक्टेयर कम किया है, जिसे प्रतिवादी संख्या 1 के रिकॉर्ड से हटाकर वादी के रिकॉर्ड मे 0.38 हैक्टेयर रकबा दर्ज किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा ही वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के सेटलमेन्ट पूर्व के खसरा नम्बर 220 व 221 से सटवां सरकारी रकबा का रकबा बढ़ाकर बाद सेटलमेन्ट नवीन खसरा नम्बर 172 रकबा 0.52 हैक्टेयर कायम किया जिसमे से खसरा नम्बर 172 रकबा 1.16 हैक्टेयर भूमि पर वादी का निरन्तर बहैसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है, गणना मे प्रतिवादी संख्या 1 के बढ़े रकबे की पूर्ति नहीं होने पर वादी के रकबे की पूर्ति खसरा नम्बर 172 मे से की जाना आवश्यक है। अन्त मे ग्राम अरलिया जागीर तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 173 की भूमि 2.62 हैक्टेयर के स्थान पर 3.00 हैक्टेयर दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 177 एवं खसरा नम्बर 172 मे बढ़े हुए रकबे को कम किये जाने एवं वादी का रकबा पूरा किये जाने की आज्ञा प्रदान करने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने का निवेदन किया कि वह वादी के कब्जे काश्त एवं खाते की भूमि पर किसी प्रकार का धोरा नहीं बनावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से जवाबदावा मय विशेष आपत्तियॉं प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान के अभिवचनों के अनुसार पत्रावली मे तनकीयात कायम की गई। उभय पक्षकारान की साक्ष्य ली गई। बहस उभय पक्षकारान सुनी जाकर दिनांक 15.06.2017 को लोक अदालत के तहत वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत किया गया। अपील धारा 96 प्रार्थना–पत्र के निर्णयाधीन सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. प्रार्थीगण अपीलांटगण की ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी मे निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के पिता श्री रामकरण का स्वर्गवास दिनांक 14.01.2017 को हो गया था, जिसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय को दे दी गई थी, जिसके बावजूद भी मृतक के खिलाफ दिनांक 15.06.2017 को डिक्री पारित की गई जो कानूनन शून्य है। उक्त शून्य डिक्री प्रार्थीगणों के स्वत्व व अधिकारों के विपरीत होने से अपील करना आवश्यक है, जिससे प्रार्थीगण के स्वत्व व अधिकार प्रभावित होने की पूर्ण संभावना है। अन्त मे स्वयं को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 से प्रभावित होना बताकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

6. हमने प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया। प्रार्थीगण का कथन है कि उनका पिता रामकरण जो अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी के रूप मे पक्षकार था, जिसकी वाद के विचाराधीन रहते हुए मृत्यु हो गई। अपीलांटगण स्वर्गीय रामचरण के वारिस है, जो अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नहीं थे। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 से प्रभावित पक्षकार है। अतः न्यायहित मे अपीलांटगण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अपील मे हुई देरी को क्षमा किये जाने की प्रार्थना की है। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। दिनांक 15.06.2017 को प्रार्थीगण लोक–अदालत मे उपस्थित नहीं थे, अतः उन्हे अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की समय पर जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। न्यायहित मे अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम मय शपथ–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं न्याय संचिका मे प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। मृतक रामकरण जो कि अपीलांटगण के पति एवं पिता थे, जिनका स्वर्गवास दिनांक 14.01.2017 को हो गया था, तथा जिसकी सूचना दिनांक 06.02.2017 को उनके अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत कर दी थी, बावजूद इसके ना तो रेस्पोडेन्ट द्वारा और ना ही न्यायालय द्वारा मृतक प्रतिवादी के वैध उत्तराधिकारियों को उक्त वाद मे कायम मुकाम नहीं बनाकर विधि की स्पष्ट भूल की है, इस कारण से निर्णय व डिक्री जैर अपील शून्य होने से काबिल निरस्तनीय है। दिवानी प्रकिया संहिता मे स्पष्ट प्रावधान है कि ना तो मृतक व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही चल सकती है और ना ही चलाई जा सकती है और न ही निर्णित हो सकती है, बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक व्यक्ति रामकरण के विरूद्ध दावा डिक्री कर दिया जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। लोक अदालत केम्प की सूचना दिया जाना प्रत्येक उस पक्षकार को आवश्यक है, जो वाद मे संयोजित है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई सूचना–पत्र ना तो प्रतिवादी को प्रेषित कराया और ना ही इस बाबत कोई तामील प्रतिवादी को करवाई गई तथा लोक–अदालत केम्प मे मनमाने तोर पर वादी रेस्पोडेन्ट का दावा डिक्री कर दिया, इस कारण से निर्णय व डिक्री जैर अपील न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। लोक अदालत केम्प मे जो निर्णय व डिक्री पारित की गई है, वह राजस्व नियमों के विपरीत है, तथ्यों की भूल से आरबीट्रेटरी तोर पर भूमि पूर्ति हेतु निर्णय व डिक्री क्षेत्राधिकार के विरूद्ध पारित की है जो काबिज निरस्तनीय है। अपनी बहस के समर्थन मे

अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2022(2) आर.आर.टी. 1310, 2022(2) सी. जे. (सिविल)(राज.) पेज 1624 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

9. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने वादपत्र को दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया है। यह हो सकता है कोई प्रकियागत चूक हुई हो, परन्तु गुणावगुण पर निर्णय बिल्कुल सही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत होने से उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 मे हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अन्त मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 को विधि सम्मत होना बताकर अपील अपीलांट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

10. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 04.02.2016 से प्रकट होता हे कि पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत थी तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 09.03.2016 नियत थी। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे तारीख पेशी दिनांक 09.03.2016 को हुई कार्यवाही का अंकन नहीं है। तत्पश्चात पत्रावली सीधे ही दिनांक 15. 06.2017 को अटल सेवा केन्द्र, अरण्डखेड़ा मे राजस्व लोक–अदालत मे पेश हुई। राजस्व लोक अदालत मे दिनांक 15.06.2017 की आदेशिका पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय मे ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि उभयपक्षकारान द्वारा कोई विधिक राजीनामा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत हुआ हो। अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकारों के मध्य कोई विधिक राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ। दिनांक 15.06.2017 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि न तो अपीलांट प्रतिवादीगण स्वयं तथा न उनके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित थे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे दिनांक 03.08.2017 का एक प्रार्थी नन्दकिशोर का कायम मुकाम रिकॉर्ड पर लेने का प्रार्थना–पत्र संलग्न है, तथा इसी प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे महावीर प्रसाद पुत्र नन्दकिशोर का एक प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151 का संलग्न है। इन प्रार्थना–पत्रों पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्या आदेश हुए? इसका भी अंकन नहीं है। पत्रावली मे एक अन्य आदेश अन्तर्गत धारा 152 सीपीसी दिनांक 29.09.2017 भी संलग्न है। आदेश मे प्रतिवादी संख्या 3 पर नाम जोड़ने

आदेश है। यह आदेश भी विधि–सम्मत नहीं है। लोक–अदालत में केवल पक्षकारों की उपस्थिति मे विधिवत् राजीनामा प्रस्तुत होने पर ही प्रकियागत पालना करते हुए राजीनामा की भावना से निर्णय किया जा सकता है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2022(2) पेज 1310 हस्तगत प्रकरण पर चस्पा होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेवेन्यु कोर्ट मेन्युअल एवं सीपीसी मे अंकित प्रकियागत प्रावधानों की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय का हस्तगत निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15.06.2017 पूर्णतः विधि–विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

11. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा के प्रकरण संख्या 44/2013 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.06.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांटगण को प्रतिवादीगण के रूप मे पक्षकार कायम करते हुए उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर विधि–सम्मत रूप से नवीन निर्णय पारित करे। उभय पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 12.07.2023 को उपस्थित रहे।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

13. निर्णय आज दिनांक 13.06.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा